प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2536/2007

याचिकाकर्तागण - खूबचंद मांझी, पिता श्री बलदेव सिंह मांझी, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी ग्राम मुचलहल, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. महावीर चक्रवर्ती, पिता श्री मनाराम चक्रवर्ती, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बाजाड़ी, विकासखंड मैनपुर, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

3. भारतलाल भाटी, पिता श्री लाई भाटी, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम गुडवेली, विकासखंड मैनपुर, तहसील गरियाबंद, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण - 1.भारत संघ, द्वारा सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. राज्य छत्तीसगढ़, द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, डी.के.एस. भवन, छत्तीसगढ़।

4. संचालक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

5. कलेक्टर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

6. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

7. अध्यक्ष, जनपद पंचायत, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

9. खंड शिक्षा अधिकारी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

10. जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक), राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

11. विकासखंड संसाधन समन्वयक (समन्वयक), राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थित:

श्री आलोक निगम, अधिवक्ता — याचिकाकर्ताओं की ओर से

श्री भीष्मा किंगर, स्थायी अधिवक्ता — भारत संघ की ओर से

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 2 से 6 तथा 9 से 14 की ओर से

....

मौखिक आदेश

(दिनांक 25 अप्रैल, 2007 को पारित)

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 4923/2006 में दिनांक 13.11.2006 को पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,

विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, ताकि उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया जा सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर द्वारा दिनांक 13.12.2006 को सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को एक पत्र (अनुलग्नक क-3) प्रेषित किया गया, ताकि निर्णय लिया जा सके और याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर उपयुक्त आदेश पारित किया जा सके।

2. इस न्यायालय द्वारा विचार हेतु एक माह का समय प्रदान किया गया था। अभ्यावेदन पर विचार करने का अर्थ यह है कि सभी संबंधित प्राधिकारी इस पर विचार करें, न कि केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैनपुर द्वारा। उनके अनुसार, इस पर विचार शासन स्तर पर किया जाना आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. यह आश्चर्यजनक है कि इस न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर के पत्र पर अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, विकासखंड मैनपुर, जिला रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13.12.2006 (अनुलग्नक क-3) पर विचार करें तथा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार तत्काल उपयुक्त आदेश पारित करें।

5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह याचिका निराकृत की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur